



2026: AHC: LKO: 11396-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक अपील संख्या - 79 वर्ष 2008

शिव पूजन वर्मा

.....अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री एस.एस. इमाम रिज़वी, श्री दिवाकर सिंह, श्री राजीव दुबे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

न्यायालय संख्या-10

सुरक्षित रखा गया: 02.12.2025

सुनाया गया: 13.02.2026

माननीय न्यायमूर्ति रजनीश कुमार

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद

(माननीय न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद द्वारा)

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव दुबे तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री पवन कुमार सिंह को सुना गया।
2. पूर्वोक्त दांडिक अपील विद्वान सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 06 वर्ष 2006 से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या 48 वर्ष 2006 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शिव पूजन) में पारित आदेश एवं निर्णय दिनांक 15.12.2007 के विरुद्ध योजित की गई है, जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भा.दं.सं.) की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा आजीवन कारावास के दंडादेश से दंडित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का मामला:

3. संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि परिवादी मंगल प्रसाद वर्मा ने पुलिस थाना जरवा, जिला बलरामपुर में एक लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श क-1) प्रस्तुत की, जिसमें यह अभिकथित किया गया कि उसके पिता शिव पूजन के दो भाई थे, अर्थात् मुंशी और निब्बर। शिव पूजन सबसे बड़े थे, मुंशी दूसरे नंबर के थे और निब्बर सबसे छोटे थे। तीनों भाई अलग-अलग रहते थे। दूसरा भाई मुंशी अपने माता-पिता, अर्थात् रघुनाथ और कमला के साथ जंगल के किनारे स्थित एक अलग घर में रहता था। इसमें आगे यह अभिकथित किया गया कि दिनांक 17.01.2006 की सुबह, उसके चाचा निब्बर ने आकर उसे यह सूचना दी कि बीती रात कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मुंशी (चाचा), रघुनाथ (दादा) और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कमला (दादी) को उक्त घर से खींचकर चक-रोड के पीछे की तरफ ले जाकर उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। यह सूचना पाकर परिवादी तुरंत अपने दादा के घर पहुँचा और पाया कि तीनों की हत्या कर दी गई है। आगे यह भी बताया गया कि उसके चाचा निब्वर ने शवों को इकट्ठा करके घर के आंगन में रख दिया था।

4. पूर्वोक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर, अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 302 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-8) दर्ज की गई तथा सामान्य डायरी में प्रविष्टि संख्या 14 (प्रदर्श क-9) के रूप में तत्स्थानी प्रविष्टि अंकित की गई। अन्वेषण का कार्य थानाध्यक्ष आर.एन. गौतम द्वारा अपने हाथ में लिया गया, जो घटनास्थल पर पहुँचे और स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, रक्त-रंजित और सादी मिट्टी के नमूने एकत्र किए गए (प्रदर्श क-6) तथा घटनास्थल का नक्शा नज़री (प्रदर्श क-30) तैयार किया गया।

5. श्रीमती कमला के शव का पंचायतनामा उप-निरीक्षक ए.पी. सिंह द्वारा तैयार किया गया (प्रदर्श क-4)। उनके निदेशों पर, शव को विधिवत रूप से सील (मुहरबंद) किया गया तथा निम्नलिखित प्रपत्र तैयार किए गए: प्रतिसार निरीक्षक को पत्र (प्रदर्श क-13), मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र (प्रदर्श क-14), चालान लाश (प्रदर्श क-15), शव का रेखाचित्र (प्रदर्श क-16) और नमूना मुहर (प्रदर्श क-17)। रघुनाथ के शव का पंचायतनामा उप-निरीक्षक भागीरथी तिवारी द्वारा तैयार किया गया (प्रदर्श क-2)। उनके निदेशों पर, शव को विधिवत रूप से सील किया गया तथा निम्नलिखित प्रपत्र तैयार किए गए: प्रतिसार निरीक्षक को पत्र (प्रदर्श क-18), मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र (प्रदर्श क-19), चालान लाश (प्रदर्श क-21), शव का रेखाचित्र (प्रदर्श क-20) और नमूना मुहर (प्रदर्श क-22)।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके अतिरिक्त, मुंशी के शव का पंचायतनामा उप-निरीक्षक ए.पी. सिंह और उप-निरीक्षक भागीरथी तिवारी द्वारा तैयार किया गया (प्रदर्श क-3)। उनके निदेशों पर, शव को विधिवत रूप से सील किया गया तथा निम्नलिखित प्रपत्र तैयार किए गए: प्रतिसार निरीक्षक को पत्र (प्रदर्श क-23), मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र (प्रदर्श क-24), चालान लाश (प्रदर्श क-25), शव का रेखाचित्र (प्रदर्श क-26) और नमूना मुहर (प्रदर्श क-27)।

6. मुंशी के शव का पंचायतनामा तैयार करने के दौरान, उसकी जैकेट की जेब से पुलिस थाना जरवा को संबोधित दिनांक 14.01.2006 का एक प्रार्थना-पत्र बरामद हुआ (प्रदर्श क-29)। उक्त प्रार्थना-पत्र में अभियुक्त शिव पूजन के विरुद्ध आरोप अंतर्विष्ट थे। उक्त प्रार्थना-पत्र के संबंध में घटनास्थल पर एक बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया और साक्षियों द्वारा उसे अनुप्रमाणित किया गया (प्रदर्श क-28)।

7. इसके अतिरिक्त, दिनांक 17.01.2006 को रात्रि लगभग 8:30 बजे, कांस्टेबल महेश प्रसाद द्वारा पुलिस थाने में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जो उप-ज़िलाधिकारी, तुलसीपुर के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था। मृतक रघुनाथ द्वारा अपने पुत्र शिव पूजन के विरुद्ध 'तहसील दिवस' पर प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.12.2005 का था, जिस पर उप-ज़िलाधिकारी ने उसी दिन निदेश पारित किए थे। उक्त प्रार्थना-पत्र के साथ अन्य संबंधित दस्तावेज़ भी पुलिस थाने में प्रस्तुत किए गए (प्रदर्श क-31)।

8. दिनांक 20.01.2006 को, राम निवास (परिवादी मंगल प्रसाद के भाई) और अभियुक्त शिव पूजन को पूछताछ हेतु पुलिस थाने लाया गया तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उनके

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कथन अभिलिखित किए गए। उक्त पूछताछ के दौरान, अभियुक्त शिव पूजन ने अपराध कारित करने की संस्वीकृति की तथा घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और डंडा बरामद कराने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात, उसे गिरफ्तार कर अभिरक्षा में ले लिया गया। उसके प्रकटीकरण कथन के अनुसरण में, अभियुक्त को रघुनाथ के घर ले जाया गया, जहाँ घर के पूर्वी कोने में रखी बैलगाड़ी के पास सूखे गन्ने के पत्तों का एक ढेर पड़ा था, उसने उक्त ढेर से एक कुल्हाड़ी और एक डंडा बरामद करवाया, और यह बताया कि उसके द्वारा अपने माता-पिता और भाई की हत्या करने में इन्हीं का उपयोग किया गया था। उक्त हथियारों का एक बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया और उसे दो स्वतंत्र साक्षियों, अर्थात् महेंद्र नाथ और कुददन द्वारा अनुप्रमाणित किया गया (प्रदर्श क-5)।

9. अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, दिनांक 25.03.2006 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष भा.दं.सं. की धारा 302 के अंतर्गत आरोप-पत्र (प्रदर्श क-33) प्रस्तुत किया गया। संज्ञान लिया गया तथा दिनांक 19.04.2006 को मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया।

10. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन ने 10 साक्षियों की परीक्षा की, अर्थात्: अभियोजन साक्षी-1 मंगल प्रसाद (परिवादी), अभियोजन साक्षी-2 राम छबीले, अभियोजन साक्षी-3 महेंद्र नाथ, अभियोजन साक्षी-4 गुददन, अभियोजन साक्षी-5 गोवर्धन, अभियोजन साक्षी-6 लालता प्रसाद, अभियोजन साक्षी-7 रमाशंकर चौहान (आरक्षी), अभियोजन साक्षी-8 डॉ. एच.पी. सिंह (शव-परीक्षा चिकित्सक), अभियोजन साक्षी-9 राम निहोर गौतम, और अभियोजन साक्षी-10 इसरार हुसैन (आरक्षी)।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. अपीलार्थी ने अपने बचाव में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने कथन में, अपीलार्थी ने अपराध कारित करने से इनकार किया। इस प्रकार, अपीलार्थी ने अपनी निर्दोषता का अभिवचन किया।

12. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के व्यापक परिशीलन के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश से दोषसिद्ध किया।

अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलें:-

13. अभियुक्त-अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित निर्णय एवं आदेश विधि और तथ्यों की दृष्टि से संपोषणीय नहीं हैं। आगे यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय ने पुलिस साक्षियों के कथनों पर भरोसा करने में त्रुटि की है, जो विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, तात्त्विक विरोधाभासों से ग्रसित हैं। आगे यह भी बलपूर्वक निवेदन किया गया कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी) नहीं है और इसलिए, वर्तमान मामले में अपीलार्थी को झूठा और गलत तरीके से आलिप्त किया गया (फंसाया गया) है।

14. यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन का संपूर्ण मामला तात्त्विक रूप से अभियोजन साक्षी-2 राम छबीले के साक्ष्य पर आधारित है, जो विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अविश्वसनीय और विश्वास के अयोग्य है। आगे यह तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय का निर्णय ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के बजाय अनुमानों और अटकलों तथा त्रुटिपूर्ण उपधारणाओं पर आधारित है। अंत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं किया गया था, जो विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अभियोजन के मामले को और अधिक कमजोर करता है।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलें:-

15. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों का पुरजोर विरोध किया है। यह तर्क दिया गया कि अभियोजन ने परिस्थितियों की ऐसी श्रृंखला को सफलतापूर्वक स्थापित किया है जो अचूक रूप से अपीलार्थी के दोष को इंगित करती है और दोषसिद्धि अभिलिखित करते समय विचारण न्यायालय द्वारा कोई तात्त्विक दुर्बलता या अवैधता कारित नहीं की गई है। आगे यह तर्क दिया गया कि यद्यपि अपीलार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं था, तथापि पश्चातवर्ती अन्वेषण ने पत्रावली पर ऐसी ठोस सामग्री प्रस्तुत की है जो अपराध कारित करने में अपीलार्थी के हेतु (मकसद), आचरण और संलिप्तता को स्थापित करती है। यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी की निशानदेही पर अपराध के दौरान प्रयुक्त हथियार की बरामदगी, उसके द्वारा की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति, और आस-पास की परिस्थितियां एक पूर्ण और अटूट श्रृंखला का गठन करती हैं जो उसके दोष को इंगित करती हैं।

16. इस प्रकार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्त-अपीलार्थी को विधि के अनुसार उचित ही दोषसिद्ध किया गया है और तदनुसार दंडादेशित किया गया है। आक्षेपित निर्णय एवं आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है। आगे यह निवेदन है कि अपील भ्रांतिपूर्ण और निराधार आधारों पर दाखिल की गई है, जो खारिज किए जाने योग्य हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मौखिक साक्ष्य:

वर्तमान अपील में उत्पन्न होने वाले विवादकों (मुद्दों) का परिशीलन करने के लिए, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक साक्ष्य का संक्षेप में परीक्षण करना समुचित है।

17. अभियुक्त शिव पूजन के पुत्र, **अभियोजन साक्षी-1 मंगल प्रसाद** ने यह साक्ष्य दिया कि उसके पिता के 2 भाई थे, अर्थात् मुंशी और निब्बर, जिनमें शिव पूजन सबसे बड़े, मुंशी मंझले और निब्बर सबसे छोटे थे। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसके पिता गांव में अलग रहते थे, जबकि उसके दादा रघुनाथ, दादी कमला और चाचा मुंशी एवं निब्बर गांव से लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण में स्थित एक घर में रहते थे। उसने आगे साक्ष्य दिया कि घटना की रात, रघुनाथ, कमला, मुंशी और निब्बर उक्त घर में सो रहे थे। उसने आगे साक्ष्य दिया कि घटना के अगली सुबह, निब्बर उसके घर आया और उसे यह सूचना दी कि रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने रघुनाथ, मुंशी और कमला को चक-रोड पर खींचकर धारदार हथियारों और डंडे से उनकी हत्या कर दी है। यह सूचना पाकर, वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौके पर पहुँचा और देखा कि तीनों की हत्या कर दी गई है। उसने आगे साक्ष्य दिया कि निब्बर शवों को घर के आंगन में ले आया था। उसने गांव के चौकीदार से परिचय होने से इनकार किया और उसके साथ पुलिस थाने जाने से भी इनकार किया, यद्यपि उसने यह स्वीकार किया कि पुलिस बाद में मौके पर आई थी और तत्पश्चात वह पुलिस थाने गया था, जहां पुलिस द्वारा एक लिखित प्रार्थना-पत्र तैयार किया गया था। इस प्रक्रम पर, विचारण न्यायालय द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने गांव के चौकीदार के साथ पुलिस थाने पहुंचने के संबंध में पुलिस को कोई भी कथन देने से इनकार किया और इस सुझाव से भी इनकार किया कि वह अपने पिता को बचाने के लिए झूठा साक्ष्य दे रहा है। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसका चाचा मुंशी सामान्यतः गांव में एक अलग घर में रहता था और केवल कभी-कभार ही अपने दादा के साथ रहता था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसके चाचा निब्बर का दूसरा विवाह इस शर्त पर हुआ था कि कुछ भूमि उसकी पत्नी को अंतरित की जाएगी, और जब रघुनाथ ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो निब्बर के ससुराल वालों, निब्बर और उसके दादा-दादी रघुनाथ एवं कमला के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके कारण निब्बर की पत्नी अपने मायके (माता-पिता के घर) चली गई। न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि रघुनाथ और मुंशी की मृत्यु के उपरांत रघुनाथ की कृषि भूमि के कब्जे में कौन आया, उसने बताया कि वह यह नहीं कह सकता कि भूमि रिक्त है या नहीं। उसने आगे बताया कि उसका एक और चाचा था और चकबंदी कार्यवाहियों के दौरान रघुनाथ को लगभग 12-14 बीघा आबादी भूमि प्राप्त हुई थी, जिस पर मूसे, बच्चन, गद्दे यादव और कलऊ राजेंद्र वालेंडर के बीच विवाद था। उसने आगे बताया कि उसके दादा, चाचा और दादी की हत्या के बाद तथा उसके पिता को जेल भेजे जाने के बाद, उक्त भूमि पर मूसे, बच्चन, गद्दे, कालू राजेंद्र और वालेंडर ने कब्जा कर लिया था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि तीनों मृतक एक ही घर में साथ रहते थे और घटना की तिथि पर निब्बर की पत्नी उपस्थित नहीं थी क्योंकि वह झगड़े के बाद अपने मायके चली गई थी। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसे अगली सुबह हत्याओं के बारे में सूचित किया गया था, जिसके बाद अपने चाचा से सूचना पाकर उसका पूरा परिवार घटनास्थल पर पहुँचा। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसके चाचा निब्बर और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके पिता शर्वों को शव-परीक्षा हेतु गोंडा ले गए थे तथा उसकी उपस्थिति में उसके चाचा, दादी और दादा के शर्वों से कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई थी।

19. अभियोजन साक्षी-2, राम छबीले ने साक्ष्य दिया कि घटना से लगभग 15-20 दिन पूर्व, वह मृतक रघुनाथ से मिला था, जिसने उसे बताया कि उसके पुत्र शिव पूजन ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। उसने आगे साक्ष्य दिया कि कृषि भूमि को लेकर रघुनाथ और अभियुक्त के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे और रघुनाथ ने सुस्पष्ट रूप से कहा था कि शिव पूजन को उसके जीवनकाल में भूमि में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। उसने आगे साक्ष्य दिया कि घटना के 2 दिन बाद, दोपहर के समय, शिव पूजन उससे मिला और संस्वीकृति करते हुए कहा कि उसने अपने पिता रघुनाथ, अपनी मां कमला और अपने भाई मुंशी की हत्या की है। उसने आगे बताया कि अभियुक्त ने उससे स्वयं को बचाने के लिए पुलिस पर अपने प्रभाव का उपयोग करने का अनुरोध किया। यह पूछे जाने पर कि उसने अपनी मां को क्यों मारा, अभियुक्त ने उत्तर दिया कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई भी साक्षी जीवित न बचे।

20. प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने साक्ष्य दिया कि वह घटना की तिथि पर गांव में उपस्थित नहीं था और अगले दिन वापस आया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि मृतक मुंशी वर्मा का घर गोवर्धन यादव के घर से सटा हुआ था तथा मुंशी और उसका भाई निब्बर बारी-बारी से अपने माता-पिता के साथ रहते थे। उसने बताया कि जिस भूमि पर मुंशी ने अपनी झोपड़ी निर्मित की थी, वह पट्टा भूमि नहीं थी, अपितु ग्राम समाज की आबादी भूमि थी। उसने आगे साक्ष्य दिया कि शिव पूजन ने पूर्व में ग्राम प्रधान से भूमि प्राप्त करने में मुंशी की सहायता की थी। उसने आगे साक्ष्य दिया कि वह मृतक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रघुनाथ से अक्सर मिलता रहता था। उसने यह स्वीकार किया कि घटना से लगभग 1 वर्ष पूर्व वह मृतक मुंशी वर्मा के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाहियों में संलिप्त था, यद्यपि उसने इस बात से इनकार किया कि उक्त कार्यवाहियां किसी भूमि विवाद से संबंधित थीं। उसने आगे साक्ष्य दिया कि निब्वर की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी तथा उसके दूसरे विवाह के ससुराल वाले मुख्य रूप से पारिवारिक संपत्ति में रुचि रखते थे, परंतु रघुनाथ ने निब्वर की पत्नी के पक्ष में कोई भी भूमि अंतरित करने से मना कर दिया था। उसने आगे बताया कि निब्वर के पास स्वयं की कोई संपत्ति नहीं थी और संपूर्ण कृषि भूमि रघुनाथ के नाम पर थी। उसने आगे साक्ष्य दिया कि नेवलगढ़ बांध के पास स्थित भूमि के संबंध में रघुनाथ का ग्रामीणों अर्थात् मूसे, गुददे, बच्चन, अताऊ और घिरऊ के साथ भूमि विवाद चल रहा था, तथा शिव पूजन ने स्वयं पूर्व में उक्त विवाद के संबंध में अपने पिता की ओर से पुलिस थाने में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था।

21. अभियोजन साक्षी-3, महेंद्र नाथ ने साक्ष्य दिया कि ग्राम पहलवान पुरवा के मुंशी, रघुनाथ और श्रीमती कमला की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर, वह उक्त गांव पहुँचा। उसने आगे साक्ष्य दिया कि निरीक्षक ने घटनास्थल पर रघुनाथ, मुंशी वर्मा और श्रीमती कमला के शवों का पंचायतनामा तैयार किया और शवों को कपड़े में सील (मुहरबंद) करके, शव-परीक्षा हेतु गोंडा भेज दिया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि सभी मृतकों का पंचायतनामा मौके पर ही थानाध्यक्ष द्वारा तैयार किया गया था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि दिनांक 20.01.2006 को अभियुक्त शिव पूजन को न तो गिरफ्तार किया गया था और न ही उसके समक्ष पेश किया गया था तथा पुलिस ने उसकी उपस्थिति में शिव पूजन से पूछताछ नहीं की थी। उसने आगे साक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने उसकी उपस्थिति में अभिकथित हत्या के हथियारों, अर्थात् कुल्हाड़ी या डंडे की कोई बरामदगी नहीं कराई,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और न ही पुलिस ने उसकी उपस्थिति में कोई बरामदगी ज़ापन तैयार किया। प्रपत्र संख्या 4/13 दिखाए जाने पर, उसने स्वीकार किया कि उस पर अंकित हस्ताक्षर उसके हैं, परंतु उसने यह साक्ष्य दिया कि उसके हस्ताक्षर निरीक्षक द्वारा एक सादे कागज पर प्राप्त किए गए थे। इस प्रक्रम पर, विचारण न्यायालय में साक्षी को पक्षद्रोही (*Hostile*) घोषित कर दिया गया।

22. प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने बताया कि उसकी जानकारी में अन्वेषण अधिकारी ने उसका कोई भी कथन अभिलिखित नहीं किया था। जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उसका अभिकथित कथन उसे पढ़कर सुनाया गया, तो उसने बताया कि उसने अन्वेषण अधिकारी को ऐसा कोई कथन नहीं दिया था और वह यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि अन्वेषण अधिकारी ने इसे कैसे अभिलिखित किया। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने अभियुक्त के साथ दुर्भिसंधि (मिलीभगत) कर ली है और वह उसे बचाने के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष जानबूझकर सत्य नहीं बोल रहा है। उसने आगे इस सुझाव से भी इनकार किया कि हत्या का हथियार, अर्थात् कुल्हाड़ी, उसकी उपस्थिति में बरामद किया गया था, कि उसने हत्या के हथियारों के बरामदगी ज़ापन पर अपने हस्ताक्षर अंकित किए थे, अथवा उसकी उपस्थिति में कोई लिखित बरामदगी ज़ापन तैयार करके उसे पढ़कर सुनाया गया था।

23. अभियोजन साक्षी-4, गुद्दन, पुत्र ढगई, निवासी जुगुलमारिया ने साक्ष्य दिया कि दिनांक 17.01.2006 की सुबह, अभियुक्त शिव पूजन ग्राम पहलवान पुरवा स्थित उसके घर आया और उसे यह सूचना दी कि बीती रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पिता, माता और भाई की हत्या कर दी है। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उक्त सूचना प्राप्त होने पर, वह घटनास्थल पर गया और उस समय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपस्थित था जब पुलिस ने तीन मृतकों अर्थात् रघुनाथ, कमला और मुंशी का पंचायतनामा तैयार किया था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसकी उपस्थिति में मृतक मुंशी की जैकेट की जेब से कोई पत्र बरामद नहीं हुआ था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसने अभियुक्त शिव पूजन की गिरफ्तारी नहीं देखी, और न ही उसने पुलिस को उससे पूछताछ करते हुए देखा। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसकी उपस्थिति में कुल्हाड़ी या डंडे की कोई बरामदगी नहीं की गई थी। बरामदगी ज़ापन दिखाए जाने पर, साक्षी ने स्वीकार किया कि उस पर अंकित हस्ताक्षर उसके हैं, परंतु उसने साक्ष्य दिया कि निरीक्षक ने ज़ापन को स्वयं भरा था और तत्पश्चात उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए थे। इस प्रक्रम पर, विचारण न्यायालय में साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

24. प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने बताया कि निरीक्षक ने उसका कथन अभिलिखित नहीं किया था। जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उसका अभिकथित कथन उसे पढ़कर सुनाया गया, तो उसने साक्ष्य दिया कि उसने निरीक्षक को ऐसा कोई कथन नहीं दिया था और वह यह स्पष्ट नहीं कर सकता कि निरीक्षक ने इसे कैसे अभिलिखित किया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि वह निरक्षर है और केवल अपना नाम हस्ताक्षरित करना जानता है। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसने अभियुक्त के साथ दुर्भिसंधि कर ली है और वह उसे बचाने के उद्देश्य से न्यायालय के समक्ष जानबूझकर सत्य नहीं बोल रहा है। उसने स्वीकार किया कि वह शिव पूजन के गांव का प्रधान है और आगे यह भी स्वीकार किया कि शिव पूजन उसका समर्थक रहा था। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि हत्या के हथियार, अर्थात् कुल्हाड़ी और डंडा, उसकी उपस्थिति में बरामद किए गए थे, कि उसने हत्या के हथियारों के बरामदगी ज़ापन पर अपने हस्ताक्षर अंकित किए थे, अथवा कोई लिखित बरामदगी ज़ापन तैयार करके उसे पढ़कर सुनाया गया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



25. मृतक रघुनाथ के पड़ोसी, **अभियोजन साक्षी-5** गोवर्धन ने साक्ष्य दिया कि उसकी कृषि भूमि रघुनाथ के घर के पास स्थित है। उसने साक्ष्य दिया कि घटना के दिन, वह सायं लगभग **6:00-7:00** बजे अपनी भूमि का निरीक्षण करने और शौच के लिए गया था, यद्यपि वह सटीक समय विनिर्दिष्ट नहीं कर सकता क्योंकि वह निरक्षर है और समय का सटीक आकलन करने में असमर्थ है। उसने साक्ष्य दिया कि जब वह एक ईंटों की संरचना (पक्की दीवार) के पास कुछ दूरी पर आगे बढ़ा, तो उसने मृतक रघुनाथ और मुंशी को उस तरफ से बैलगाड़ी में आते हुए देखा। उसने आगे साक्ष्य दिया कि मुंशी के अपने घर पहुंचने के पश्चात, उसने मुंशी को यह कहते हुए सुना *"कौन हो?"* और *"तुम क्या कर रहे हो?"*, परंतु वह दूसरी आवाज नहीं सुन सका। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसने केवल मुंशी और रघुनाथ की आवाजें सुनीं तथा किसी अन्य व्यक्ति की आवाज नहीं सुनी। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसने मौके पर शिव पूजन को न तो देखा और न ही उसकी आवाज सुनी। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसका कथन निरीक्षक द्वारा अभिलिखित किया गया था। उसने यह भी बताया कि उसने मुंशी या रघुनाथ की ओर से सहायता के लिए कोई चीख-पुकार नहीं सुनी। इस प्रक्रम पर, विचारण न्यायालय में साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

26. प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने साक्ष्य दिया कि उसने निरीक्षक को यह सूचित नहीं किया था कि उसने मुंशी और रघुनाथ की सहायता के लिए चीख-पुकार सुनी थी अथवा उन्हें डंडे से पीटा जा रहा था। उसने घटना के समय मुंशी, रघुनाथ या शिव पूजन की आवाजें सुनने से इनकार किया और बताया कि उसने निरीक्षक को केवल यह सूचित किया था कि उसने रघुनाथ और मुंशी को बैलगाड़ी में आते समय देखा था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि वह पक्षकारों के मध्य किसी भी विवाद से अवगत नहीं था और स्वीकार किया कि शिव पूजन के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उसने इस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सुझाव से इनकार किया कि वह अभियुक्त के भय या दबाव के कारण न्यायालय के समक्ष झूठा साक्ष्य दे रहा है। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उसका कथन निरीक्षक द्वारा उसके कहे अनुसार सही रूप से अभिलिखित किया गया था। उसने आगे इस सुझाव से भी इनकार किया कि उसने घटना के समय मृतक मुंशी और रघुनाथ अथवा अभियुक्त शिव पूजन की आवाजें सुनी थीं तथा वह न्यायालय के समक्ष जानबूझकर सत्य को छिपा रहा है। उसने आगे साक्ष्य दिया कि मुंशी और रघुनाथ की गांव में किसी से कोई रंजिश (शत्रुता) नहीं थी, यद्यपि कृषि भूमि को लेकर किसी गुददे नामक व्यक्ति के साथ कुछ विवाद था, तथा कुछ अवसरों पर उसने संपत्ति में हिस्सेदारी के संबंध में शिव पूजन और रघुनाथ के बीच झगड़ा सुना था।

27. मृतक रघुनाथ के बड़े भाई, अभियोजन साक्षी-6 लालता प्रसाद ने साक्ष्य दिया कि रघुनाथ के पास उसके ननिहाल ग्राम पहलवान पुरवा में लगभग 26-27 बीघा भूमि थी तथा उसके 3 पुत्र थे, अर्थात् शिव पूजन (सबसे बड़ा), मुंशी, और निब्बर (सबसे छोटा)। उसने साक्ष्य दिया कि घटना से लगभग 7 से 8 वर्ष पूर्व से ही शिव पूजन अपने माता-पिता और भाइयों से अलग रह रहा था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि शिव पूजन ने उसके पास आकर यह अनुरोध किया था कि वह रघुनाथ को उसे खेती के लिए लगभग 5 बीघा भूमि देने के लिए राजी करे; जिस पर रघुनाथ सहमत हो गए थे। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसकी जानकारी के अनुसार रघुनाथ और शिव पूजन के मध्य कोई विवाद नहीं था।

28. प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने बताया कि सबसे छोटे पुत्र निब्बर का दूसरा विवाह इस शर्त पर संपन्न हुआ था कि रघुनाथ भूमि को निब्बर की पत्नी के नाम पर अंतरित करेंगे। जब रघुनाथ ने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ऐसा करने से मना कर दिया, तो रघुनाथ और निब्वर के ससुराल वालों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि रघुनाथ ने उसे यह बताया था कि संपत्ति विवाद के कारण निब्वर के ससुराल वालों द्वारा धमकियां दी जा रही थीं। उसने आगे साक्ष्य दिया कि रघुनाथ की भूमि का एक भाग सरयू नहर के लिए अर्जित किया गया था, जिसके लिए प्रतिकर का संदाय किया गया था, तथा कई ग्रामीण अर्थात् घिरऊ, मूसे, गुददे, बच्चन और अताऊ उक्त भूमि पर कब्जा करने के इच्छुक थे। उसने आगे साक्ष्य दिया कि रघुनाथ, मुंशी और कमला की मृत्यु तथा तत्पश्चात शिव पूजन के कारावासित (निरुद्ध) होने के बाद, पूर्वोक्त ग्रामीणों ने भूमि पर कब्जा कर लिया और वे आज तक उस पर काबिज हैं।

29. पुलिस थाना उसका बाज़ार, सिद्धार्थ नगर के आरक्षी संख्या 254, **अभियोजन साक्षी-7 रमाशंकर चौहान** ने साक्ष्य दिया कि दिनांक 17.01.2006 को वह कोतवाली जरवा पुलिस थाने में प्रधान आरक्षी के पद पर तैनात था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि मंगल प्रसाद वर्मा के लिखित परिवाद के आधार पर उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 2/06, मुकदमा अपराध संख्या 6/06 (प्रदर्श क-8) दर्ज की। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसने दिनांक 17.01.2006 को प्रातः लगभग 9-10 बजे प्रविष्टि संख्या 14 (प्रदर्श क-9) के रूप में इसकी रपट अंकित की।

30. अभियोजन साक्षी-7 की कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

31. जिला चिकित्सालय, गोंडा के परामर्शदाता शल्यचिकित्सक, **अभियोजन साक्षी-8 डॉ. एच.पी. सिंह** ने साक्ष्य दिया कि दिनांक 18.01.2006 को वह जिला चिकित्सालय, गोंडा में तैनात थे और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उस दिन उन्होंने मृतका श्रीमती कमला का शव-परीक्षण (पोस्टमार्टम) किया, जिसे पुलिस थाना जरवा के आरक्षी संख्या 225 बेचनराम और आरक्षी संख्या 330 इसरार हुसैन द्वारा सीलबंद अवस्था में लाया गया था। बाह्य परीक्षण पर यह पाया गया कि मृतका के ऊपरी अंगों में मृत्यु-अकड़न समाप्त हो चुकी थी और निचले पैरों में कम होना आरंभ हो गई थी। मृतका के शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाई गईं:

- चोट संख्या 1: माथे पर विदीर्ण घाव जिसका माप 8 सेमी × 6 सेमी × अस्थि की गहराई तक था, जो आंखों के सिरों से 3 सेमी ऊपर था। कोई अस्थि-भंग नहीं था।
- चोट संख्या 2: नील जिसका माप 4 सेमी × 2 सेमी था, जो मुंह के दाहिने कोण से 2 सेमी पार्श्व (बगल) में था। निचले जबड़े की अस्थि का कोई अस्थि-भंग नहीं था।
- चोट संख्या 3: दाहिने बाहु पर कंधे से 4 सेमी नीचे बहु-नील जिनका माप 12 सेमी × 7 सेमी था। दाहिनी प्रगंडिका अस्थि (ह्यूमरस) टूटी हुई थी।
- चोट संख्या 4: दाहिनी कलाई पर विदीर्ण घाव जिसका माप 2½ सेमी × 1 सेमी × अस्थि की गहराई तक था।
- चोट संख्या 5: दाहिने हाथ के पिछले हिस्से पर बहु-नील जिनका माप 8 सेमी × 4 सेमी था।
- चोट संख्या 6: सामने के वक्ष (छाती) के दोनों ओर सूजन के साथ नील, जो बाईं जत्रुक अस्थि (हंसली) के मध्य सिरे से 2 सेमी नीचे था, जिसका माप 12 सेमी × 12 सेमी था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- चोट संख्या 8: दाहिनी ओर की 2 से 6 नंबर तक की और बाईं ओर की 2 से 9 नंबर तक की पसलियों की हड्डियां टूटी हुई थीं।
- चोट संख्या 7: दाहिनी जांघ पर बहु-नील, दाहिने घुटने से 10 सेमी ऊपर विदीर्ण, जिसका माप 8 सेमी × 8 सेमी था।

बायां फेफड़ा गंभीर रूप से विदीर्ण था और फुफ्फुसावरण गुहा रक्त से भरी हुई थी। अन्य सभी अंग सामान्य थे। दांतों की संख्या 9/8 थी। आमाशय में द्रव मौजूद था। बड़ी आंत में मल पदार्थ मौजूद था। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि उसकी मृत्यु मृत्यु-पूर्व आई चोटों के कारण हुए अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे से हो सकती है। आगे उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि उसकी मृत्यु शव-परीक्षा के समय से 36 से 48 घंटे पूर्व के मध्य हो सकती है।

32. इसके अतिरिक्त, उसी दिन अपराहन 1:35 बजे, उन्होंने मृतक रघुनाथ के शव का भी परीक्षण किया, जिसे उन्होंने आरक्षियों अर्थात् बेचनराम और इसरार हुसैन द्वारा लाया गया था। बाह्य परीक्षण पर, उन्होंने पाया कि शरीर के ऊपरी भाग में मृत्यु-अकड़न समाप्त हो चुकी थी और निचले भाग में लगभग समाप्त हो चुकी थी। मृतक के शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाई गईं:

- चोट संख्या 1: आंख और माथे के जोड़ पर विदीर्ण घाव मौजूद था जिसका माप 3 सेमी × 1½ सेमी × अस्थि की गहराई तक था। नासा-अस्थि (नाक की हड्डी) भंग थी और ललाट अस्थि का दाहिना निचला भाग भंग था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- **चोट संख्या 2:** ठुंडी के दाहिनी ओर विदीर्ण घाव जिसका माप 3 सेमी × 1 सेमी × अस्थि की गहराई तक था। दाहिनी ओर के निचले जबड़े की अस्थि भंग थी तथा दांत बाहर की ओर निकले हुए और अपनी जगह से हिले हुए (विस्थापित) थे।
- **चोट संख्या 3:** दाहिने कान के पीछे विदीर्ण घाव जिसका माप 3 सेमी × 1 सेमी × अस्थि की गहराई तक था।
- **चोट संख्या 4:** दाहिने बाहु पर कंधे से 12 सेमी नीचे विदीर्ण घाव जिसका माप 1 सेमी × सेमी × अस्थि की गहराई तक था। बाहु की प्रगंडिका अस्थि भंग थी।
- **चोट संख्या 5:** बाएं अग्रबाहु पर बाईं कलाई से 6 सेमी ऊपर विदीर्ण घाव जिसका माप 3 सेमी × 2 सेमी × अस्थि की गहराई तक था। अग्रबाहु की बहिःप्रकोष्ठिका (रेडियस) और अंतःप्रकोष्ठिका (अल्ना) दोनों हड्डियां भंग थीं।
- **चोट संख्या 6:** बाएं पैर में घुटने से 12 सेमी नीचे विदीर्ण घाव जिसका माप 6 सेमी × 1½ सेमी × अस्थि की गहराई तक था।
- **चोट संख्या 7:** वक्ष के सामने उरोस्थि-ऊपरी खांचे से 1 सेमी नीचे सूजन के साथ बहु-खरोंचें। बाईं ओर की 2 से 5 नंबर तक की और दाहिनी ओर की 2 से 9 नंबर तक की पसलियों की हड्डियां टूटी हुई थीं और फुफ्फुस गुहा रक्त से भरी हुई थी। दाहिनी ओर का यकृत (लिवर) फटा हुआ था और आमाशय गुहा पूर्णतः रक्त से भरी हुई थी। मृतक के दांतों की संख्या 14/11 थी, उसका आमाशय रिक्त था और उसका हृदय भी रिक्त था परंतु हृदय की झिल्ली

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में रक्त मौजूद था। मस्तिष्क द्रवित नहीं हुआ था। आगे, उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि रघुनाथ की मृत्यु उसके शरीर पर आई मृत्यु-पूर्व चोटों के कारण हुए अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे से हुई है। उसकी मृत्यु शव-परीक्षा के समय से 36 से 48 घंटे पूर्व के मध्य हुई हो सकती है।

33. इसके अतिरिक्त, उसी दिन अपराह्न 4:15 बजे, उन्होंने मृतक मुंशी वर्मा के शव का परीक्षण किया, जिसे ऊपर वर्णित उन्हीं आरक्षियों द्वारा लाया गया था। बाह्य परीक्षण पर, उन्होंने पाया कि शरीर के ऊपरी भाग में मृत्यु-अकड़न समाप्त हो चुकी थी और निचले भाग में कम होना आरंभ हो गई थी। मृतक के शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु-पूर्व चोटें पाई गईं:

- **चोट संख्या 1:** गर्दन के बाईं ओर बाएं कान से 4 सेमी नीचे चीरा घाव जिसका माप 4 सेमी × 2 सेमी × अस्थि की गहराई तक था। दाहिनी ओर की ग्रीवा धमनी और जुगुलर शिरा कटी हुई थीं।
- **चोट संख्या 2:** चेहरे के दाहिनी ओर कान से लगभग 5 सेमी नीचे चीरा घाव जिसका माप सेमी × 5 सेमी × अस्थि की गहराई तक था। जबड़े की अस्थि भंग थी।
- **चोट संख्या 3:** चेहरे के दाहिनी ओर चोट संख्या 2 से 1 सेमी ऊपर बहु-विदीर्ण घाव जिसका माप 6 सेमी × 3 सेमी × अस्थि की गहराई तक था।
- **चोट संख्या 4:** सिर के दाहिनी ओर दाहिनी भौंह से 5½ सेमी ऊपर विदीर्ण घाव जिसका माप 6 सेमी × 1 सेमी × अस्थि की गहराई तक था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- **चोट संख्या 5:** दाहिने वक्ष पर दाहिने चूचुक (*Nipple*) से 2 सेमी नीचे बहु-नील जिसका माप 12 सेमी × 3 सेमी था।
- **चोट संख्या 6:** वक्ष पर उरोस्थि-ऊपरी खांचे से 4 सेमी नीचे बहु-नील। बाईं ओर की सातवीं पसली और दाहिनी ओर की 2 से 6 नंबर तक की पसलियां तथा मध्य अस्थि (उरोस्थि / स्टर्नम) टूटी हुई थीं।

आंतरिक परीक्षण पर उन्होंने पाया कि दाहिने फेफड़े की झिल्ली और फेफड़ा फटे हुए थे। मृतक के दांतों की संख्या 11/10 थी, आमाशय में काला पचा हुआ भोजन मौजूद था, छोटी और बड़ी आंतें रिक्त थीं, मस्तिष्क द्रवित नहीं हुआ था। उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि मृत्यु मृत्यु-पूर्व आई चोटों के कारण हुए अत्यधिक रक्तस्राव और सदमे से हुई हो सकती है और उसकी मृत्यु शव-परीक्षा के समय से 36 से 48 घंटे पूर्व के मध्य हुई हो सकती है।

34. उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि उनके मत में मुंशी के शरीर पर आया कटा हुआ घाव संभवतः कुल्हाड़ी जैसे किसी धारदार हथियार से कारित किया गया हो सकता है तथा सभी मृतकों के शरीरों पर आए नील और विदीर्ण घाव लाठी जैसी किसी कठोर और भोथरी वस्तु से कारित किए गए हो सकते हैं। उन्होंने आगे यह मत व्यक्त किया कि सभी मृतकों की मृत्यु संभवतः 16/17 जनवरी, 2006 की मध्यरात्रि के दौरान किसी समय हुई हो सकती है और सभी मृतकों को पहुंचाई गई चोटें मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



35. प्रतिपरीक्षा के दौरान, उन्होंने साक्ष्य दिया कि सामान्य परिस्थितियों में आमाशय से भोजन को पचकर आगे बढ़ने में 4 घंटे का समय लगता है। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि मृतक कमला और रघुनाथ के आमाशय में कोई भोजन नहीं पाया गया था, तथा मृतक मुंशी के आमाशय में काले प्रकार का पचा हुआ भोजन पाया गया था, जिसे यह पहचान पाना संभव नहीं था कि वह किस प्रकार का भोजन था। उन्होंने आगे साक्ष्य दिया कि सभी मृतकों के नील और विदीर्ण घावों को देखकर यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होगा कि वे एक ही हथियार से कारित किए गए थे अथवा भिन्न-भिन्न हथियारों से।

36. डीसीआरवी पुलिस लाइन बलरामपुर, जिला बलरामपुर के अभियोजन साक्षी-9 राम निहोर गौतम ने साक्ष्य दिया कि दिनांक 17.01.2006 को वह कोतवाली जरवा पुलिस थाने में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसी दिन, उसने मंगल प्रसाद वर्मा के लिखित परिवाद के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 06/06 दर्ज किया था और मामले का अन्वेषण स्वयं अपने हाथ में लिया था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि तत्पश्चात वह आरक्षी रमाशंकर चौहान, वरिष्ठ उप-निरीक्षक श्री अरविंद प्रताप सिंह, वरिष्ठ उप-निरीक्षक श्री भागीरथी तिवारी, आरक्षी संख्या 244 नवल बिहारी पाण्डेय, उप-निरीक्षक आरक्षी संख्या 225 बेचन प्रसाद, आरक्षी संख्या 330 इसरार हुसैन, आरक्षी संख्या 361 राधेश्याम शर्मा, होमगार्ड सोमाई प्रसाद और पवन कुमार के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। उसने आगे साक्ष्य दिया कि घटनास्थल पर पहुंचने के उपरांत उसने मंगल प्रसाद का कथन अभिलिखित किया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि पंचायतनामे के साक्षियों को नियुक्त करने के पश्चात, मृतका कमला और मुंशी के शवों का पंचायतनामा तैयार किया गया तथा शवों को अलग-अलग कपड़ों में सील (मुहरबंद) करके

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और उन पर मुहर लगाकर, उन्हें शव-परीक्षा हेतु आरक्षी संख्या 330 इसरार हुसैन, आरक्षी संख्या 225 बेचन राम और उप-निरीक्षक भागीरथी तिवारी के सुपुर्द कर दिया गया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसने कमला के शव का पंचायतनामा तैयार किया था (प्रदर्श क-4)। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसके निदेश पर उप-निरीक्षक ए.पी. सिंह ने प्रतिसार निरीक्षक को पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र, चालान लाश, शव का रेखाचित्र और मुहर का नमूना तैयार किया था (प्रदर्श क-13 से क-17 तक)। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसके निदेश पर उप-निरीक्षक भागीरथी तिवारी द्वारा रघुनाथ वर्मा के शव का पंचायतनामा तैयार किया गया था (प्रदर्श क-2) जिसके साथ प्रतिसार निरीक्षक को पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र, चालान लाश, शव का रेखाचित्र और मुहर का नमूना था (प्रदर्श क-18 से क-22 तक)। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसने मुंशी वर्मा के शव का पंचायतनामा भी तैयार किया था (प्रदर्श क-3)। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसके निदेश पर उप-निरीक्षक भागीरथी तिवारी और उप-निरीक्षक ए.पी. सिंह ने प्रतिसार निरीक्षक को पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र, चालान लाश, शव का रेखाचित्र और मुहर का नमूना तैयार किया (प्रदर्श क-23 से क-27 तक)। उसने आगे साक्ष्य दिया कि मुंशी के शव का पंचायतनामा तैयार करते समय, अभियुक्त शिव पूजन और उसके पुत्र के विरुद्ध जरवा पुलिस थाने को संबोधित दिनांक 14.01.2006 का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि इस प्रार्थना-पत्र की बरामदगी का ज़ापन तैयार किया गया और इसे साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया गया (प्रदर्श क-28)। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उक्त प्रार्थना-पत्र को प्रपत्र संख्या 4/5 (प्रदर्श क-29) के साथ अभिरक्षा में ले लिया गया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि दिनांक 17.01.2006 को निब्वर का कथन अभिलिखित किया गया और तत्पश्चात घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नज़री तैयार किया गया (प्रदर्श क-30)। उसने आगे साक्ष्य

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिया कि उसी दिन, पंचायतनामे तैयार होने के पश्चात, घटनास्थल से सादी मिट्टी और रक्त-रंजित मिट्टी एकत्र की गई, उन्हें अलग-अलग डिब्बों में रखा गया, सील किया गया और मुहर लगाई गई, तथा उन सभी के लिए एक ही ज्ञापन तैयार किया गया (प्रदर्श क-6)। उसने आगे साक्ष्य दिया कि दिनांक **17.01.2006** को रात्रि लगभग **8:30** बजे मृतक रघुनाथ द्वारा 'तहसील दिवस' पर शिव पूजन और उसके पुत्र के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया दिनांक **28.12.2005** का एक प्रार्थना-पत्र उप-ज़िलाधिकारी, तुलसीपुर के कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ और इस संबंध में एक प्रविष्टि अंकित की गई (प्रदर्श क-31)। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उप-ज़िलाधिकारी, तुलसीपुर ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर दिनांक **28.12.2005** को कार्यवाही की थी। उसने आगे साक्ष्य दिया कि दिनांक **20.01.2006** को मंगल प्रसाद के भाई रामनिवास और अभियुक्त शिव पूजन को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया गया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि साक्षी गोवर्धन और राम छबीले के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **161** के अंतर्गत अभिलिखित किए गए। उसने आगे साक्ष्य दिया कि तत्पश्चात, अभियुक्त शिव पूजन का कथन अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार किया (संस्वीकृति की) और हत्या के हथियार, अर्थात् एक कुल्हाड़ी और डंडा बरामद कराने का आश्वासन दिया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि तत्पश्चात अभियुक्त शिव पूजन को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में ले लिया गया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि सार्वजनिक साक्षियों महेंद्र नाथ और कुददन को अभियुक्त शिव पूजन के साथ घटनास्थल पर ले जाया गया, जहां अभियुक्त पुलिस को रघुनाथ के घर के पूर्वी कोने में बैलगाड़ी के पास सूखे गन्ने के पत्तों के एक ढेर के पास ले गया और उस ढेर से अभियुक्त ने स्वयं एक कुल्हाड़ी और एक डंडा खोजकर निकाला, और बताया कि उसने इन्हीं से अपने माता-पिता और भाई की हत्या की थी। उसने आगे साक्ष्य दिया कि डंडे और कुल्हाड़ी को कब्जे में लेने के पश्चात,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्हें एक कपड़े में रखा गया, सील किया गया और मुहर लगाई गई। उसने आगे साक्ष्य दिया कि हत्या के हथियार की बरामदगी का जापन मौके पर ही तैयार किया गया और इसे साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित किया गया (प्रदर्श क-5)। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसी दिन, हत्या के हथियार की बरामदगी का स्थल-चित्र (नक्शा नज़री) तैयार किया गया (प्रदर्श क-32)। उसने आगे साक्ष्य दिया कि दिनांक **22.01.2006** को मृतक रघुनाथ के भाई लालता का कथन अभिलिखित किया गया जिसमें उसने बताया कि उसने ग्राम पहलवान पुरवा स्थित संपत्ति मृतक रघुनाथ को वसीयत कर दी थी (वसीयत की प्रति को प्रदर्श क-7 के रूप में चिह्नित किया गया है)। उसने आगे साक्ष्य दिया कि अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के उपरांत, दिनांक **07.03.2006** को न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया (प्रदर्श क-33)।

37. प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने साक्ष्य दिया कि उसे घटना की सूचना दिनांक **17.01.2006** को प्रातः लगभग **9:10** बजे प्राप्त हुई, जब वह पुलिस थाने में उपस्थित था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि मंगल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चौकीदार के साथ आया था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार तीनों मृतकों के पंचायतनामे में यह उल्लेख किया गया था कि हत्या के लिए किसी धारदार हथियार का उपयोग किया गया था; तथापि, शवों और चोटों का निरीक्षण करने पर यह निष्कर्ष निकालना कठिन था कि ऐसे हथियार का उपयोग किया गया था या नहीं, और इसलिए शवों को शव-परीक्षा हेतु भेजा गया था। उसने आगे इस सुझाव से इनकार किया कि कुल्हाड़ी की बरामदगी के आधार पर चोट दर्शाई गई थी तथा उसने इस सुझाव से भी इनकार किया कि शवों के विदीर्ण घावों का निरीक्षण करने के उपरांत उसने डंडे की बरामदगी दर्शाई थी। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि रघुनाथ का दाहिना हाथ टूटा हुआ और मुड़ा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हुआ था तथा इसलिए उसने पंचायतनामे में इसका उल्लेख किया था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि पंचायतनामे के दौरान मृतक मुंशी की जेब से जो प्रार्थना-पत्र बरामद हुआ था, उसे उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक या ज़िला मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य अधिकारी को नहीं दिखाया गया था और उस प्रार्थना-पत्र पर मृतक मुंशी के कोई हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उक्त प्रार्थना-पत्र को अभिरक्षा में ले लिया गया था। इसे साक्षियों द्वारा देखा गया था, तथापि, यह निष्कर्ष निकालना कठिन था कि उक्त प्रार्थना-पत्र किसने लिखा था। उसने आगे इस सुझाव से इनकार किया कि पंचायतनामे में गलत प्रविष्टि की गई थी, और आरंभ में कुछ भी बरामद नहीं हुआ था तथा बाद में प्रविष्टि को काटकर उसने बरामदगी दर्शाई थी। उसने आगे साक्ष्य दिया कि दिनांक **16.01.2006** को निम्बर एक मंदिर में भंडारे के लिए गया था। उसने आगे इस सुझाव से इनकार किया कि निम्बर भंडारे में नहीं रुका था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि 'तहसील दिवस' पर दिए गए प्रार्थना-पत्र (प्रदर्श क-34) के संबंध में प्रविष्टि दिनांक **17.01.2006** को रात्रि लगभग **8:30** बजे अंकित की गई थी। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसने उक्त प्रार्थना-पत्र पर अंकित मृतक रघुनाथ के अंगूठे के निशान का सत्यापन नहीं किया था क्योंकि अंगूठे के निशान वाला कोई भी अभिलेख प्राप्त नहीं किया जा सका था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि अभियुक्त ने उसे यह नहीं बताया था कि उसने डंडा कहां से प्राप्त किया था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि अपीलार्थी ने डंडे के स्रोत का खुलासा नहीं किया और यह स्वीकार किया कि कुल्हाड़ी या डंडे से अंगूठे के कोई भी निशान प्राप्त नहीं किए गए थे। उसने आगे इस सुझाव से इनकार किया कि उसने वास्तविक अपराधियों को छिपाया है तथा फर्जी बरामदगियों के आधार पर शिव पूजन को झूठा नामजद करके जेल भेजा है। उसने आगे इस सुझाव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से भी इनकार किया कि उसने एक फर्जी प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है और साक्षियों के फर्जी कथन गढ़े हैं।

38. पुलिस थाना कोतवाली जरवा, जिला बलरामपुर के आरक्षी संख्या 330, अभियोजन साक्षी-10 इसरार हुसैन ने साक्ष्य दिया कि दिनांक 17.01.2006 को वह पुलिस थाना जरवा में तैनात था और निरीक्षक के साथ घटनास्थल पर गया था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि मृतक कमला देवी, रघुनाथ और मुंशी के पंचायतनामे मौके पर ही तैयार किए गए थे (क्रमशः प्रदर्श क-2, क-3 और क-4)। उसने आगे साक्ष्य दिया कि तत्पश्चात शवों को अलग-अलग कपड़े में लपेटा गया, विधिवत रूप से सील (मुहरबंद) किया गया, तथा शवों से संबंधित सुसंगत कागजात गोंडा में शव-परीक्षा हेतु ले जाने के लिए उसे और आरक्षी बेचन राम को सौंपे गए थे। उसने आगे साक्ष्य दिया कि जब तक शव उसकी अभिरक्षा में रहे, मुहरें अक्षुण्ण (बरकरार) रहें और किसी भी अप्राधिकृत व्यक्ति को शवों को छूने, उनका निरीक्षण करने या उन्हें छेड़ने की अनुमति तब तक नहीं दी गई जब तक कि वे शव-परीक्षा चिकित्सक के सुपुर्द नहीं कर दिए गए। उसने आगे साक्ष्य दिया कि सुपुर्दगी के उपरांत, चिकित्सक द्वारा शवों की शिनाख्त (पहचान) की गई और तत्पश्चात शव-परीक्षण किया गया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसने शव-परीक्षा रिपोर्टें प्राप्त कीं और उन्हें पुलिस थाने में प्रस्तुत किया।

39. प्रतिपरीक्षा के दौरान, उसने साक्ष्य दिया कि जिस समय पंचायतनामा तैयार करने के लिए शवों को स्थानांतरित किया जा रहा था, उस समय रघुनाथ का पुत्र निब्बर उपस्थित था, जबकि अभियुक्त शिव पूजन उनके साथ नहीं गया था। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उसने सुसंगत दस्तावेजों पर अपने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने से पूर्व व्यक्तिगत रूप से शर्तों को देखा था और निरीक्षक के निदेश पर कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे।

न्यायालय का विश्लेषण:

न्यायिकेतर संस्वीकृति का प्रभाव:

40. अपीलार्थी की दोषसिद्धि तात्त्विक रूप से अभियोजन साक्षी-2 राम छबीले के समक्ष उसके द्वारा की गई अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति पर आधारित है। अतः, दांडिक विधिशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों के आलोक में ऐसी संस्वीकृति के साक्ष्यिक मूल्य का परीक्षण करना आवश्यक है।

41. किसी न्यायिकेतर संस्वीकृति के साक्ष्यिक मूल्य का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *सहदेवन बनाम तमिलनाडु राज्य, (2012) 6 एससीसी 403* के मामले में विस्तार से परीक्षण किया गया है, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने यह धारित किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित ऐसे मामलों में, जहां अभियोजन किसी न्यायिकेतर संस्वीकृति पर अवलंब लेता है, वहां न्यायालय को ऐसे साक्ष्य की अधिक गहनता से संवीक्षा करनी चाहिए, और अभियुक्त के दोष को अचूक रूप से इंगित करने वाली परिस्थितियों की एक पूर्ण श्रृंखला स्थापित करने का भार अभियोजन पर होता है। इसके अतिरिक्त, शीर्ष न्यायालय ने धारित किया:

"16. ... (i) न्यायिकेतर संस्वीकृति अपने आप में एक कमजोर साक्ष्य है। न्यायालय

द्वारा इसकी परीक्षा अत्यधिक देख-रेख और सावधानी के साथ की जानी चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) यह स्वेच्छया (स्वेच्छा से) की गई होनी चाहिए और सत्य होनी चाहिए।

(iii) इसे विश्वास जाग्रत करने वाला होना चाहिए।

(iv) कोई न्यायिकेतर संस्वीकृति अधिक विश्वसनीयता और साक्ष्यिक मूल्य तब प्राप्त करती है जब वह ठोस परिस्थितियों की एक श्रृंखला द्वारा समर्थित हो और अन्य अभियोजन साक्ष्य द्वारा उसकी अतिरिक्त संपुष्टि की गई हो।

(v) किसी न्यायिकेतर संस्वीकृति को दोषसिद्धि का आधार बनने के लिए, उसे किसी भी तात्त्विक विसंगति और अंतर्निहित असंभाव्यता से ग्रसित नहीं होना चाहिए।

(vi) ऐसे कथन को अनिवार्य रूप से किसी भी अन्य तथ्य की भांति और विधि के अनुसार साबित किया जाना चाहिए।"

42. पूर्वोक्त सुस्थापित सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन साक्षी-2 राम छबीले के समक्ष अपीलार्थी द्वारा की गई अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति कठोर कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। प्रथमतः, अभियोजन साक्षी-2 किसी भी प्राधिकारपूर्ण पद पर आसीन नहीं है और न ही अभियोजन ने उसके और अपीलार्थी के मध्य विश्वास का कोई ऐसा विशेष संबंध स्थापित किया है, जो अपीलार्थी के लिए एक जघन्य तिहरे हत्याकांड की संस्वीकृति करना स्वाभाविक बनाता। साक्षी स्वयं यह स्वीकार करता है कि वह घटना की तिथि पर गांव में उपस्थित नहीं था और केवल अगले दिन ही वापस आया। इस बात का कोई भी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विश्वासप्रद स्पष्टीकरण नहीं है कि अपीलार्थी स्वेच्छया इतने गंभीर प्रकथन के लिए अभियोजन साक्षी-2 को ही अपना विश्वासपात्र क्यों चुनता।

43. द्वितीयतः, अभियोजन साक्षी-2 का आचरण सामान्य मानव व्यवहार के पूर्णतः असंगत है। यह दावा करने के बावजूद कि अपीलार्थी ने एक जघन्य तिहरे हत्याकांड को कारित करने की संस्वीकृति की थी और पुलिस के स्तर पर मामला संभालने के लिए उसकी सहायता मांगी थी, अभियोजन साक्षी-2 ने तुरंत किसी भी प्राधिकारी, गांव के वयोवृद्धों (बुजुर्गों) अथवा पुलिस अधिकारियों को सूचित नहीं किया। ऐसी अस्वाभाविक चुप्पी सामान्य मानव आचरण के असंगत है और उसके वृत्तांत की विश्वसनीयता को काफी हद तक कमजोर करती है।

44. न्यायालय इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं कर सकता कि अभियोजन साक्षी-2 ने मृतक मुंशी के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अंतर्गत कार्यवाहियों में अपनी पूर्व संलिप्तता को स्वीकार किया है तथा मृतक के परिवार और अन्य ग्रामीणों के मध्य लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों के अस्तित्व को भी स्वीकार किया है। ये परिस्थितियां अंतर्निहित ग्राम गुटबाजी की संभावना को इंगित करती हैं और झूठे आलिप्तन (झूठा फंसाने) के लिए एक उर्वर आधार प्रदान करती हैं।

45. पूर्वोक्त के आलोक में, अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति, जो कि एकाकी है और अदोषनीय संपुष्टि द्वारा असमर्थित है, इस न्यायालय का विश्वास जाग्रत नहीं करती है। साक्ष्य के ऐसे अस्थिर (कमजोर) अंश पर पूर्णतः या तात्त्विक रूप से दोषसिद्धि को आधारित करना असुरक्षित है। विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षी-2 की न्यायिकेतर संस्वीकृति पर अत्यधिक भरोसा करने में, उसे विधि द्वारा आज्ञापक संवीक्षा के उस स्तर के अधीन नहीं रखा है। परिणामस्वरूप, उक्त संस्वीकृति

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का साक्ष्यिक मूल्य कमजोर और स्वतंत्र रूप से दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त पाया जाता है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित कथनों की विधिमान्यता तथा हत्या के हथियारों की अभिकथित बरामदगी की विश्वसनीयता:

46. अभियोजन ने पुलिस पूछताछ के दौरान अपीलार्थी द्वारा अभिकथित रूप से दिए गए उस कथन पर भी भरोसा किया है जिसके परिणामस्वरूप अपराध के कारित किए जाने में प्रयुक्त होने का दावा की गई कुल्हाड़ी और डंडे की बरामदगी हुई। उक्त बरामदगी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित कथन के आधार पर प्रभावी किया जाना बताया गया है।

47. सर्वप्रथम, विधि की इस सुस्थापित स्थिति का संज्ञान लेना आवश्यक है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभिलिखित कथन कोई सारभूत साक्ष्य नहीं है। ऐसे कथन का उपयोग केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अनुसार विरोधाभास के सीमित प्रयोजन के लिए ही किया जा सकता है। किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई कोई भी संस्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 और 26 से बाधित है तथा साक्ष्य में अग्राह्य है। किसी कथन का केवल वही प्रभाग जो किसी तथ्य की खोज का कारण बनता है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत ग्राह्य हो सकता है, बशर्ते कि खोज का वास्तविक, स्वेच्छया और विश्वसनीय होना साबित हो।

48. वर्तमान मामले में, कुल्हाड़ी और डंडे की अभिकथित बरामदगी को अभियोजन साक्षी-3 महेंद्र नाथ और अभियोजन साक्षी-4 गुद्दन के माध्यम से साबित करने का प्रयास किया गया है, जिन्हें

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बरामदगी ज्ञापन के स्वतंत्र साक्षियों के रूप में उद्धृत किया गया है। तथापि, इन दोनों साक्षियों ने अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनकी उपस्थिति में कोई बरामदगी की गई थी और यह साक्ष्य दिया है कि उनके हस्ताक्षर सादे कागजों पर प्राप्त किए गए थे अथवा विषयवस्तु को जाने बिना ही उनसे हस्ताक्षर कराए गए थे। दोनों साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अतः, उनका साक्ष्य अभिकथित बरामदगी के संबंध में अभियोजन के वृत्तांत को तात्त्विक रूप से कमजोर करता है।

49. तत्पश्चात जो शेष बचता है वह बरामदगी के संबंध में अन्वेषण अधिकारी का एकाकी साक्ष्य है। यह सत्य है कि किसी बरामदगी को केवल किसी पुलिस अधिकारी के साक्ष्य के माध्यम से भी साबित किया जा सकता है; तथापि, जब स्वतंत्र साक्षी स्वीकृत रूप से उपलब्ध हों और उद्धृत किए गए हों, परंतु वे बरामदगी को अस्वीकार करते हों, तब न्यायालय से यह अपेक्षित है कि वह केवल आधिकारिक साक्ष्य पर भरोसा करने से पूर्व अत्यधिक सावधानी बरते, विशेष रूप से ऐसे मामले में जो पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो।

50. ऐसी परिस्थितियों में, अभिकथित बरामदगी, जो प्राथमिक रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **161** के अंतर्गत अभिलिखित पुलिस कथन पर आधारित है और स्वतंत्र संपुष्टि द्वारा असमर्थित है, विश्वास जाग्रत नहीं करती है। अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध बरामदगी को एक विश्वसनीय दोषारोपक परिस्थिति के रूप में स्थापित करने में विफल रहा है। इसलिए, उक्त बरामदगी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में एक मजबूत या निश्चायक कड़ी के रूप में नहीं माना जा सकता।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चक्षुदर्शी साक्षी (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी) की अनुपस्थिति का प्रभाव तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक

पूर्ण श्रृंखला स्थापित करने में अभियोजन की विफलता:

51. स्वीकृत रूप से, अभियोजन का मामला किसी भी प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। कोई भी साक्षी यह दावा करने के लिए सामने नहीं आया है कि उसने अभियुक्त को रघुनाथ, कमला और मुंशी की हत्याएं कारित करते हुए देखा था। अतः यह मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

52. यह सुस्थापित है कि जहां दोषसिद्धि को केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित करने का प्रयास किया जाता है, वहां अभियोजन पर परिस्थितियों की एक ऐसी पूर्ण और अटूट श्रृंखला स्थापित करने का भारी भार होता है जो अचूक रूप से अभियुक्त के दोष को इंगित करे तथा उसकी निर्दोषता के संगत प्रत्येक संभावित परिकल्पना को अपवर्जित (खारिज) करे। **शरद बिरधीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों को शासित करने वाले सुप्रसिद्ध "पांच स्वर्णिम सिद्धांतों" (पंचशील) का प्रतिपादन किया था, अर्थात्:

- (i) वे परिस्थितियां जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए
- (ii) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के ही संगत होने चाहिए;
- (iii) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (iv) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना के सिवाय अन्य प्रत्येक संभावित परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए; तथा
- (v) साक्ष्य की एक ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की निर्दोषता के संगत किसी निष्कर्ष के लिए कोई युक्तियुक्त आधार न छोड़े तथा यह दर्शित करे कि सभी मानवीय संभावनाओं के अंतर्गत वह कार्य अवश्य ही अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

53. इसके अतिरिक्त, पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में, विशेष रूप से तब जब परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण न हो, हमले के अभिकथित हथियार की मात्र बरामदगी ही अपने आप में दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने निरंतर यह धारित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में दोषसिद्धि के लिए परिस्थितियों की एक ऐसी पूर्ण और अटूट श्रृंखला की आवश्यकता होती है जो अचूक और अनन्य रूप से अभियुक्त के दोष को इंगित करे, तथा निर्दोषता की किसी भी परिकल्पना के असंगत हो। यह सिद्धांत **शरद बिरधीचंद सारडा (पूर्वोक्त)** के मामले में प्रतिपादित किया गया था। हथियार की मात्र बरामदगी, भले ही वह रक्त-रंजित हो अथवा विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) / न्यायालयिक रिपोर्ट के माध्यम से पीड़ित के रक्त समूह से मेल खाती हो, अपने आप में इस आवश्यकता को पूर्ण नहीं करती है। शीर्ष न्यायालय ने **राजा नायकर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2024) 3 एससीसी 481** के मामले में यह धारित किया कि रक्त-रंजित हथियार की मात्र बरामदगी, भले ही उस पर पीड़ित के समान ही रक्त समूह मौजूद हो, हत्या के आरोप को साबित करने के लिए तब तक अपर्याप्त है जब तक कि उस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बरामदगी को विश्वासप्रद रूप से अपराध से न जोड़ा जाए और वह दोषारोपक परिस्थितियों की एक पूर्ण तथा अटूट श्रृंखला का भाग न हो।

54. अतः, केवल बरामदगी, भले ही वह मेल खाती हुई विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) की रिपोर्ट के साथ हो, अभियुक्त को घटनास्थल, हेतु (मकसद), कृत्य आदि से जोड़ने वाले प्रबल संपुष्टिकारक साक्ष्य के बिना दोषसिद्धि को संपोषित नहीं कर सकती। यदि श्रृंखला टूटती है अथवा युक्तियुक्त संदेह के लिए कोई स्थान छोड़ती है— उदाहरण के लिए, जहां बरामदगी किसी ऐसे खुले या सार्वजनिक स्थान से की गई हो जो अन्य लोगों के लिए आसानी से सुलभ (पहुंच योग्य) हो, अथवा जहां कोई चक्षुदर्शी साक्षी न हो या जहां साक्षी पक्षद्रोही हो गए हों— वहां अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है। पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में, हमले के हथियार की बरामदगी के तथ्य पर अत्यधिक सावधानी के साथ विचार किया जाना चाहिए क्योंकि संदेह, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो, 'युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होने' का स्थान नहीं ले सकता और न ही उसका प्रतिस्थापन हो सकता है। इस संदर्भ में, **मुस्तकीम उर्फ सिराजुद्दीन बनाम राजस्थान राज्य, (2011) 11 एससीसी 724** के मामले का भी संदर्भ लिया जा सकता है।

55. जब वर्तमान मामले में अभियोजन के साक्ष्य को पूर्वोक्त सुस्थापित सिद्धांतों की कसौटी पर परखा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण होने से बहुत दूर है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्थित **नन्हर एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2010) 11 एससीसी 423** के मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के पहलू पर प्रतिपादित विधिक सिद्धांत वर्तमान मामले में लागू होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



56. इस मामले में "अंतिम बार साथ देखे जाने" का कोई साक्ष्य अथवा किसी चक्षुदर्शी साक्षी का वृत्तांत उपलब्ध नहीं है। अभियोजन साक्षी-5 गोवर्धन, जिसकी परीक्षा एक ऐसे साक्षी के रूप में की गई थी जिसके घटनास्थल के पास उपस्थित होने का अभिकथन था, ने यह कथन दिया है कि उसने सुसंगत समय पर अपीलार्थी को न तो देखा और न ही उसकी आवाज सुनी तथा उसने मृतक की ओर से सहायता के लिए कोई चीख-पुकार नहीं सुनी। यह साक्ष्य अभियोजन के मामले को मजबूत करने के बजाय, उसे गंभीर रूप से कमजोर करता है।

57. कुल्हाड़ी और डंडे की अभिकथित बरामदगी का किसी भी स्वतंत्र/सार्वजनिक साक्षी द्वारा समर्थन नहीं किया गया है, तथा अभियोजन साक्षी-3 महेंद्र नाथ और अभियोजन साक्षी-4 गुद्दन ने अपीलार्थी की निशानदेही पर किसी भी बरामदगी के साक्षी होने से इनकार किया है। उनका साक्ष्य अभिकथित बरामदगी को पूर्णतः अविश्वसनीय बना देता है।

58. मृतक मुंशी की जेब से अभिकथित दोषारोपक प्रार्थना-पत्र की बरामदगी भी संदेहास्पद हो जाती है, क्योंकि पंचायतनामे के पंच साक्षियों ने ऐसी बरामदगी का समर्थन नहीं किया है।

59. यहां तक कि अभियोजन साक्षी-2 राम छबीले के समक्ष की गई अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति, जिसे श्रृंखला की मुख्य कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, विश्वास जाग्रत नहीं करती है और इसमें स्वतंत्र संपुष्टि का अभाव है।

60. इस प्रकार, अभियोजन द्वारा समर्थित परिस्थितियां न तो दृढ़तापूर्वक साबित होती हैं और न ही एक निरंतर तथा अटूट श्रृंखला का गठन करती हैं। वे अनन्य रूप से अपीलार्थी के दोष को इंगित नहीं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करती हैं, और न ही वे उसकी निर्दोषता के संगत अन्य युक्तियुक्त परिकल्पनाओं को अपवर्जित करती हैं।

61. ऐसे परिदृश्य में, दोषसिद्धि को संपोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संदेह, चाहे वह कितना भी प्रबल क्यों न हो, विधिक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। चूंकि अभियोजन *शरद बिरधीचंद सारडा (पूर्वोक्त)* के मामले में प्रतिपादित 'पंचशील' को संतुष्ट करने में विफल रहा है, अतः संदेह का लाभ आवश्यक रूप से अपीलार्थी को प्राप्त होना चाहिए।

केवल हेतु (मकसद) ही दोषसिद्धि को संपोषित नहीं कर सकता:

62. अभियोजन द्वारा अपीलार्थी शिव पूजन और मृतक रघुनाथ एवं मुंशी के मध्य संपत्ति विवाद से उत्पन्न होने वाले अभिकथित हेतु पर अत्यधिक बल दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शित अवश्य करता है कि भूमि के विभाजन और उपभोग के संबंध में परिवार के भीतर मतभेद थे। तथापि, यह दांडिक विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि हेतु, भले ही उसे स्थापित मान लिया जाए, अपने आप में दोषसिद्धि को बनाए रखने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता।

63. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *महेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2022) 7 एससीसी 157* के मामले में यह धारित किया है कि "यह सुस्थापित है कि केवल इसलिए कि हेतु स्थापित हो गया है, दोषसिद्धि को संपोषित नहीं किया जा सकता" और इस पहलू पर अपीलार्थी द्वारा लिया गया अवलंब सही है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि हेतु घटना के लिए एक पृष्ठभूमि प्रदान कर सकता है, परंतु यह विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य के माध्यम से अपराध कारित

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने में अभियुक्त की संलिप्तता को साबित करने की आवश्यकता से अभिमुक्ति (छूट) नहीं देता है।

64. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बलपूर्वक यह तर्क दिया कि मृतक द्वारा पहनी गई जैकेट की जेब से अभिकथित रूप से बरामद प्रार्थना-पत्र (प्रदर्श क-29) (प्रपत्र संख्या 4/5) अपीलार्थी के विरुद्ध एक दोषारोपक परिस्थिति का गठन करता है और अभियोजन के मामले को आश्वस्तता प्रदान करता है। इस न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में उक्त निवेदन का परीक्षण किया है।

65. अभियोजन पंचायतनामा कार्यवाही की तैयारी के दौरान प्रार्थना-पत्र की अभिकथित बरामदगी पर अवलंब लेना चाहता है। तथापि, अभियोजन साक्षी-4 गुद्दन, जिसे कार्यवाहियों के एक स्वतंत्र साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया था, ने इस बात से इनकार किया है कि उसकी उपस्थिति में ऐसा कोई पत्र बरामद हुआ था। उसने हत्या के हथियार की अभिकथित बरामदगी से संबंधित बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श क-5) पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए, फिर भी यह कथन दिया कि वे हस्ताक्षर निरीक्षक द्वारा सादे कागजों पर उसके हस्ताक्षर प्राप्त करने के उपरांत अभिप्राप्त किए गए थे। ऐसा साक्ष्य अभियोजन द्वारा समर्थित दस्तावेजी कार्यवाहियों की प्रामाणिकता पर एक गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। जब कोई स्वतंत्र साक्षी बरामदगी को अस्वीकार करता है और यह अभिकथन करता है कि हस्ताक्षर विषयवस्तु की जानकारी के बिना प्राप्त किए गए थे, तब दस्तावेज का साक्ष्यिक मूल्य संदेहास्पद हो जाता है और उसे सतर्कता के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



66. यह ध्यान देना भी उतना ही सुसंगत है कि मृतक की जेब से बरामद अभिकथित प्रार्थना-पत्र को अदोषनीय साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं किया गया है। अन्वेषण अधिकारी ने स्वयं यह स्वीकार किया कि दस्तावेज पर मृतक के न तो हस्ताक्षर थे और न ही अंगूठे का निशान था तथा इसके लेखकत्व (इसे किसने लिखा) का सत्यापन नहीं किया जा सका। स्रोत और प्रामाणिकता के उचित सबूत के अभाव में, ऐसी बरामदगी को एक विश्वसनीय दोषारोपक परिस्थिति के स्तर तक स्थापित नहीं किया जा सकता। अतः उक्त परिस्थिति, अभियोजन द्वारा स्थापित किए जाने के लिए आशयित साक्ष्य की श्रृंखला को सुदृढ़ करने में विफल रहती है।

67. अभियोजन ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न कराने तथा कतिपय कार्यवाहियों में साथ न रहने के अपीलार्थी के आचरण पर भी दोष के द्योतक के रूप में अवलंब लेने का प्रयास किया है। यह न्यायालय ऐसे निवेदन से सहमत होने में असमर्थ है। आचरण के साक्ष्य का मूल्यांकन साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अर्थ के अंतर्गत किया जाना चाहिए और वह ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दोषिता (आपराधिकता) की ओर इंगित करे। इसके विपरीत, पत्रावली यह दर्शित करती है कि अपीलार्थी ने पंचायतनामा कार्यवाहियों में भाग लिया था। यदि वह अपराध का कर्ता (अपराधी) होता, तो ऐसी औपचारिक कार्यवाहियों में उसकी उपस्थिति को हल्के में प्रतिकूल आचरण के रूप में अर्थावित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते समय मात्र अनुपस्थिति अथवा विशिष्ट कदम उठाने में विफलता स्वतः ही दोष के अनुमान को जन्म नहीं देती है। मानव आचरण में अत्यधिक भिन्नता होती है, और व्यवहार के संबंध में काल्पनिक उपधारणाओं के आधार पर दांडिक दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



68. अतः, न तो प्रार्थना-पत्र की अभिकथित बरामदगी और न ही अपीलार्थी पर आरोपित आचरण किसी भरोसेमंद दोषारोपक परिस्थिति का गठन करते हैं। जब पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य के आलोक में इन कारकों का परीक्षण किया जाता है, तो ये अभियोजन के मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं और इसके बजाय परिस्थितियों की श्रृंखला में पूर्व में ही संज्ञानित किए गए संदेहों को और अधिक पुष्ट करते हैं।

69. वर्तमान मामले में, अभिकथित और अपेक्षाकृत कमजोर हेतु के अतिरिक्त, अपीलार्थी को घटना से जोड़ने वाला कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन का मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, अभियोजन द्वारा समर्थित परिस्थितियां एक ऐसी पूर्ण और अटूट श्रृंखला का गठन नहीं करती हैं जो अचूक रूप से अपीलार्थी के दोष को इंगित करे तथा उसकी निर्दोषता के संगत प्रत्येक परिकल्पना को अपवर्जित करे।

70. अतः, भले ही हेतु के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया जाए, वह परिस्थितिजन्य साक्ष्य की एक पूर्ण और विश्वसनीय श्रृंखला के अभाव में, दोषसिद्धि को संपोषित करने का आधार नहीं बन सकता। हेतु साबित परिस्थितियों की श्रृंखला में केवल एक अतिरिक्त कड़ी हो सकता है; वह अपने आप में प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।

संदेह का लाभ तथा निर्दोषता की उपधारणा:

71. यह दांडिक विधिशास्त्र का एक मूलभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक अभियुक्त को तब तक निर्दोष उपधारित किया जाता है जब तक कि वह सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे दोषी साबित न हो जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिस्थितियों की श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को स्थापित करने का भार पूर्णतः अभियोजन पर होता है जो अचूक रूप से अभियुक्त के दोष की ओर ले जाए। संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।

72. पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, निर्दोषता की उपधारणा और भी अधिक प्रबल हो जाती है, क्योंकि न्यायालय का यह समाधान होना चाहिए कि अभियोजन द्वारा समर्थित परिस्थितियां एक पूर्ण श्रृंखला का गठन करती हैं और वे अभियुक्त के दोष के सिवाय किसी भी अन्य परिकल्पना के असंगत हैं। जहां प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर दो मत (दृष्टिकोण) संभव हों, वहां आवश्यक रूप से वह मत अपनाया जाना चाहिए जो अभियुक्त के अनुकूल हो। यह विधि का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, विधिमान्य प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता। 'साबित हो सकता है' और 'अवश्य साबित होना चाहिए' के मध्य पर्याप्त अंतर होता है।

73. वर्तमान मामले में, जैसा कि इसके पूर्व विवेचन किया गया है, अभियोजन परिस्थितियों की एक पूर्ण और अटूट श्रृंखला स्थापित करने में विफल रहा है। अभिकथित न्यायिकेतर संस्वीकृति गंभीर दुर्बलताओं से ग्रसित है और विश्वास जाग्रत नहीं करती है। हत्या के अभिकथित हथियारों की बरामदगी भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि इसका स्वतंत्र साक्षियों द्वारा समर्थन नहीं किया गया है और इसमें संपुष्टिकारक न्यायालयिक साक्ष्य का अभाव है। घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी) नहीं है, तथा अभियोजन द्वारा अवलंबित (समर्थित) परिस्थितिजन्य कड़ियां या तो कमजोर, संदेहास्पद अथवा असंपुष्ट हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



74. इन कमियों का संचयी प्रभाव अभियोजन के मामले में एक युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करता है। ऐसा संदेह न तो काल्पनिक है और न ही अटकलबाजी पर आधारित है, अपितु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य में विद्यमान तात्त्विक विरोधाभासों और कमियों से उत्पन्न होता है। दांडिक विधि में, एक अकेला युक्तियुक्त संदेह भी अभियुक्त को दोषमुक्ति का हकदार बनाने के लिए पर्याप्त होता है।

75. तदनुसार, अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है। निर्दोषता की उपधारणा, जो विचारण के आरंभ से ही अभियुक्त के साथ रहती है और संपूर्ण अपीलीय प्रक्रम के दौरान जारी रहती है, वर्तमान मामले में और अधिक सुदृढ़ हो जाती है, तथा अभियोजन विश्वसनीय और विश्वासप्रद साक्ष्य द्वारा इसे खंडित करने में विफल रहा है।

निष्कर्ष:

76. पूर्वोक्त विवेचन के आलोक में तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के समग्र पुनर्मूल्यांकन के उपरांत, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अभियोजन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने में सफल नहीं हो सका है। परिस्थितियों की श्रृंखला अपूर्ण पाई जाती है और वह अचूक रूप से अपीलार्थी के दोष को इंगित नहीं करती है। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विधि की दृष्टि से संपोषणीय नहीं हैं।

77. तदनुसार, अपील **स्वीकार** की जाती है। विद्वान सत्र न्यायाधीश, जिला बलरामपुर द्वारा सत्र विचारण संख्या **06 वर्ष 2006** में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक **15 दिसंबर 2007** को अपास्त (रद्द) किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



78. अपीलार्थी, शिव पूजन को सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

79. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निस्तारित माने जाएं।

80. कार्यालय को यह निदेश दिया जाता है कि वह तत्काल अनुपालन हेतु इस निर्णय की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित करे।

(न्यायमूर्ति ज़फीर अहमद) (न्यायमूर्ति रजनीश कुमार)

13 फरवरी, 2026

फहीम/-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।